न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा.पत्र / 14(4) / 03 / 2022

1–फूलवती पत्नी हेतराम उम्र 62 वर्ष
2–जगदीश पुत्र रामदयाल उम्र 60 वर्ष
3–हेतराम पुत्र रामदयाल उम्र 58 वर्ष
4–मनोहर पुत्र रामदयाल उम्र 72 वर्ष
5–रामेश्वर पुत्र रामदयाल उम्र 70 वर्ष
} जातियान ब्राहम्ण निवासीयान ऊँच तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....प्रार्थी0

वनाम

1–पूरन पुत्र रेवती जाति कचेरा निवासी ऊँच तहसील नदबई जिला भरतपुर
2–आवंटन कमैटी नदबई, जिला भरतपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14(4) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (भू–आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ) विरूद्ध आदेश 05.06.1989 आवंटन कमेटी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

उपस्थित :–
1–श्री कृष्ण कुमार सिंघल, अभिभाषक प्रार्थी
2–श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी–1

निर्णय

दिनांक 25.02.2026

1– प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू0 राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 विरुद्व आवंटन कमेटी नदबई के आवंटन आदेश दिनांक 5–06–1989 को निरस्त कराये जाने हेतु इस आश्य का पेश किया गया है – संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 के पिता स्व0 रेवती पुत्र भोंदू ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर भूमिहीन काश्तकार के आधार पर आवंटन कमेटी नदबई से आराजी खसरा नम्बर 686 / 0.20 है0., 689 / 0.03, 690 / 0.63, 696 / 0.15 है. गत आराजी खसरा नम्बर 480 मिन / 16 विस्वा, 480 / मिन 2 बीघा 12 विस्वा, 480 / मि. / 12 विस्वा रकवा नियमों के खिलाफ दिनांक 05.06.1989 को अपने नाम आवंटन करा लिया गया। आराजी खसरा नम्बर 686 / 020है. आज भी बंजड पडा हुआ है जिस पर बबूल खडार झाडिया खडी हुई है जिस पर आज तक रेस्पो. ने कभी काश्त नहीं की है, आवंटन दिनांक से आज तक रेस्पो संख्या–1 एवं उनके पिता स्व. रेवती का कब्जा नहीं रहा है, इसलिये आवंटन शर्तों की अवहेलना होने के कारण यह आंवटन निरस्त किये जाने योग्य

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

है। आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 है. से सटा हुआ खसरा नम्बर 685/0.15 है. जो गत खसरा नम्बर 480/12 विस्वा से बना है जो अपीलान्ट ने दिनांक 12.11.2012 को मूल खातेदार शिवदयाल पुत्र भगवत जाति ब्राहम्ण से खरीदा है तथा खरीद तारीख से काश्त करती चली आ रही है। अपीलान्ट ने अपने खसरा नम्बर 685 की सीमांकन कराने के दौराने हल्का पटवारी ने जो मौका रिर्पोट तहसीलदार को दी गई उसमें भी विवादित आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 पर रेस्पो का कभी कब्जा नहीं रहा है, और ना ही उक्त रकवे पर रेस्पों. ने कभी काश्त की है। मोके पर करीली, झाडियां खड़ी होना बताया जाकर प्रार्थीया ने रेस्पों. के पिता स्व. रेवती को नियम विरुद्ध आवंटन दिनांक 05.06.1989 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

2— प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. एवं आवंटन रजिस्टर तलब किया गया। उपखण्ड अधिकारी नदबई के पत्रांक/आवंटन 2022/3496/170 दिनांक 30.11.2022 से प्राप्त आवंटन रजिस्टर सलंग्न पत्रावली किया गया। अप्रार्थी0 की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय की बहस सुनी गई।

3— योग्य अभिभाषक प्रार्थी0 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र नियम 14(4) में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि रेस्पो. एक के पिता स्व. रेवती पुत्र भौंदू ने अपने आप को भूमिहीन कृषक बताते हुये आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 है0.,689/0.03, 690/0.63, 696/0.15 है. गत आराजी खसरा नम्बर 480 मिन/16 विस्वा, 480/मिन 2 बीघा 12 विस्वा, 480/मि./12 विस्वा रकवा नियमों के खिलाफ दिनांक 05.06.1989 को अपने नाम आवंटन करा लिये गये। आवंटन कमेटी ने भूमिहीन होने के बारे में कोई जॉच नहीं की। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि आवंटित भूमि पर आवंटी को कभी कब्जा नहीं मिला । आवंटी रेस्पो. न.1 के पिता स्व. रेवती ने आवंटित रकवा पर कभी काश्त नहीं की है और ना हीं रेस्पो.1 ने काश्त की है। नियमों के मुताबिक आवंटी को एलाटशुदा आराजी पर कम कम 50 प्रतिशत रकवा पर काश्त करनी अनिवार्य है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने बताया कि रेस्पो. को आंवटित खसरा नम्बर 686/0.20 जो कि गत आराजी खसरा नम्बर 480 मिन रकवा 16 विस्वा से बना है के चिपटवॉ अपीलान्ट ने आराजी खसरा नम्बर 685/0.15 हे.गत खसरा नम्बर 480/12 विस्वा से बना है को मूल खातेदार शिवदयाल पुत्र भगवत जाति ब्राहम्ण से दिनांक 12.11.2012 को जरिये रजिस्टर वैयनामा खरीद किया था। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का कहना है कि वक्त सीमांकन हल्का पटवारी ने आराजी खसरा नम्बर 685 से लगते हुये 0.06 है. पर सरसों बोकर हेतराम पुत्र रामदयाल को काश्त करना बताया गया शेष रकवा खाली पडा हुआ है जिस पर कडब करीली झाडियां खडी हुई होना अपनी रिपोर्ट में बताया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि आवंटित विवादित आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 है. वक्त आवंटन खाली नहीं था, इस पर मूल खातेदार शिवदयाल पुत्र भगवत जाति ब्राहम्ण का कब्जा था, अतिक्रमी को बेदखल किये बिना उस भूमि को किसी

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

दीगर व्यक्ति की आवंटन नहीं किया जा सकता है। योग्य अभिभाषक प्रार्थी का तर्क है कि विवादित आवंटित आराजी पर रेस्पो. या उसके पिता स्व. रेवती का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है और ना ही आवंटित विवादित आराजी पर कब्जा मिला है आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1989 नियमों के खिलाफ होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि नामान्तकरण संख्या 809 में कॉलम 7 में पूरन पुत्र रेवती गैर खातेदार दर्ज है, कॉलम नम्बर 9 से खातेदार दर्ज किया गया है सम्वत् 2010 की जमावंदी में पूरन को गैर खातेदार दर्ज कर रखा है गैर खातेदार को वसीयत करनें का अधिकार नहीं है। प्रार्थी ने देरी के बाबत प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपीलान्ट प्रार्थी आवंटन के समय पक्षकार मुकदमा नहीं था। इसलिये प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी पेश किया गया है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2014 पेज 209, आर.आर.डी. 1982 पेज 497, आर.आर.डी. 1983 पेज 334, 53 उद्धरित करते हुये प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 05.06.1989 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4— योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में जाहिर किया कि उपखण्ड अधिकारी भरतपुर आवंटन कमेटी ने विवादित आराजी खसरा नम्बर 480/7, 480/9 तथा खसरा नम्बर 386 का आवंटन दिनांक 26.5.1971 को कुछ व्यक्तियों को आवंटन किया गया था, उक्त आवंटन आदेश 26.5.71 के खिलाफ एक अपील रेस्पो. के पिता रेवती ने न्यायालय आर.ए.ए. भरतपुर में की गई थी, आर.ए.ए.भरतपुर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.3.1981 को एस.डी.ओ. भरतपुर द्वारा किये गये आवंटन आदेश दिनांक 26.5.71 को निरस्त किया और यह आदेश दिये कि रेस्पो. के पिता रेवती भूमिहीन कृषक उसी ग्रांम के है तो यह जमीन उन व्यक्तियों को नियामनुसार नियमन की जावे। इसका नामान्तकरण संख्या 187 पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। आवंटीयों द्वारा आर.ए.ए.भरतपुर न्यायालय आदेश दिनांक 30.3.1981 की अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.12.86 को खारिज करते हुये आदेश दिया कि भूमि चारागाह से मुक्त की जाकर उसी गांव के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटित की जावे। योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने बताया कि उसके बाद आवंटन कमेटी नदबई ने अपने आवंटन आदेश दिनांक 5.6.1989 को रेस्पो. के पिता रेवती पुत्र भोंदू जाति कचेरा निवासी ग्रांम ऊंच नदबई को आराजी खसरा 480मिन/16 विस्वा, 480/7 मिन 2 बीघा 12 विस्वा, 480/9मि./12 विस्वा आवंटन किया गया आवंटन के आधार पर रेवती पुत्र भोदू आवंटित आराजी पर गैरखातेदार दर्ज हुये थे। इसके पश्चात रेवती पुत्र भोंदू ने विवादित आराजी का वसीयतनामा दिनांक 22.8.1991 को अपने पुत्र पूरन रेस्पो.1 के हक में सब रजिस्ट्रार के यहॉ तस्दीक करा लिया, इसके आधार पर जरिये दाखिल खारिज संख्या 1002 दिनांक 5.6.2015 खसरा नम्बर 686/0.20 पर पूरन गैरसायल के खातेदार स्वीकार कर जमाबन्दी में इन्द्राज कर दिया गया। विवादित आराजी पर रेस्पो.1 पूरन काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का तर्क है कि जमाबन्दी में

.....4

जिला कलक्टर,
भरतपुर

खातेदारी इन्द्राज होने के बाद धारा 14(4) नियम के तहत यह कार्यवाही नहीं चल सकती है। अपीलान्ट0 का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अपीलान्ट ने तो बगल की आराजी खसरा नम्बर 685 सन 2012 में खरीद किया है जबकि आवंटन आदेश दिनांक 5.6.89 का है, अपीलान्ट का विवादित आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अपील असीमित देरी से म्याद बाहर पेश की गई, अपीलान्ट को आवंटन आदेश दिनांक 5.6.89 के खिलाफ प्रार्थना पत्र नियम 14(4) पेश करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2023(1) पेज 559, आर.आर.टी. 2024(1) पेज 214, उद्धरित करते हुये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में अंकित तथ्य गलत हैं काबिल खारिज किया जावे तथा प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी भी खारिज किया जाकर, प्रार्थना पत्र नियम 14(4) खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

5— हमने पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया ।

6— पत्रावली में उपलब्ध आवंटन रजिस्टर उपखण्ड अधिकारी नदबई के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 480मिन/16 विस्वा, 480/7 मिन 2 बीघा 12 विस्वा, 480/9मि./12 विस्वा ग्रांम ऊंच तहसील नदबई का आवंटन अप्रार्थी न.1 के पिता स्व. रेवती पुत्र भोंदू के हक में आवंटन दिनांक 05.06.1989 को किया गया है।

7— विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) में प्रार्थीगण ने आवंटन कमेटी के आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1989 को निरस्त कराने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 30.5.2022 को 33 साल बाद देरी से पेश किया गया है। प्रथमतः म्याद बिन्दू प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया।

8— प्रार्थीगण ने म्याद प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अधीनस्थ आवंटन कमेटी ने विवादित आराजी को जरिये आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1989 से अप्रार्थी संख्या —1 के पिता को आवंटन कर दिया गया है। जबकि उक्त आराजीयान पर प्रार्थीगण का कब्जा है व उन्होने उसके असल मालिक शिवदयाल से खरीद किया है, प्रार्थीगण ही उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आवंटन आदेश की जानकारी प्रार्थीगण को नहीं थी। आवंटन आदेश दिनांक 05.06.1989 की जानकारी होने पर यह प्रार्थना पत्र 14(4) जानकारी होने की दिनांक से अन्दर म्याद पेश किया गया है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

9— प्रार्थीगण उक्त आंवटित आराजी पर अपना कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु उन्होंने ऐसा साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नहीं किया जिससे उनके मौखिक कथनों की ताईद होती हो। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में प्रार्थीगण को आवंटन आदेश की जानकारी कब/केसे हुई इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अपीलान्टान ने अपील की मद संख्या 3 में उल्लेख किया है कि आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 है. से सटा हुआ खसरा नम्बर 685/0.15 हे. जो गत आराजी खसरा नम्बर 480/12 विस्वा से बना है को अपीलान्ट ने मूल खातेदार शिवदयाल पुत्र भगवत जाति ब्राहम्ण से दिनांक 12.11.2012 को जरिये बेयनामा खरीद किया है, इस उल्लेख से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण आवंटन आदेश दिनांक 05.06.89 के वक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 के पास स्थित खसरा नम्बर 685/0.15 के खातेदार काश्तकार नहीं थे। वक्त आवंटन दिनांक को मूल खातेदार शिवदयाल पुत्र भगवत जाति ब्राहॅम्ण खसरा नम्बर 685/0.15 का खातेदार काश्तकार था। इसलिये प्रार्थीगण का यह कहना कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा था स्वीकार योग्य नहीं है और ना ही इन्हें प्रार्थना पत्र 14(4) का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम काबिल खारिज के रहता है।

प्रकरण में निम्न बिन्दू तय होने हैं :—

1—आया अप्रार्थीगण नम्बर—1 के पिता स्व. रेवती पुत्र भोंदू वक्त आवंटन भूमिहीन काश्तकार नहीं था।

2—आया प्रार्थीगण वक्त आवंटन विवादित आवंटित आराजी पर काबिज/अतिकमी थे ?

3—आया विवादित आराजी पर आवंटी द्वारा कभी काश्त नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य रहता है?

4— क्या गैर खातेदार अपनी आराजी की वसीयत कर सकता है ?

5— आया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के रहता है ?

बिन्दू स. 1— पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, जिससे यह साबित हो सके की वक्त आवंटन दिनांक 05.06.89 को रेस्पो. न.1 के पिता स्व. रेवती पुत्र भोंदू भूमिहीन काश्तकार ना हो। योग्य अभिभाषक प्रार्थीगण का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है की रेवती भूमिहीन काश्तकार की तारीफ में ना हो। आवंटन रजिस्टर में दर्ज आवंटन कार्यवाही दिनांक 5.6.89 में स्पष्ट अंकित किया

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

हुआ है कि – "..... इस ग्रांम पंचायत क्षेत्र के भूमिहीन व्यक्तियों को आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिस पर ..... भूमि का आवंटन किया गया....।" यानि वक्त आवंटन स्व. रेवती पुत्र भौंदू भूमिहीन था।

बिन्दू स. 2– प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मद संख्या–4 में अतिचारी को बेदखल किये बिना उस भूमि को किसी भी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया जा सकता । प्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि आवंटित भूमि खाली नहीं हो या आराजी पर प्रार्थीगण अतिक्रमी हो। बल्कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या– 3 में स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित आवंटित आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 से सटा हुआ आराजी खसरा नम्बर 685/0.15 को जरिये बैयनामा तारीखी 12.11.2012 से मूल खातेदार शिवदयाल पुत्र भगवत से खरीदा था। यानि प्रार्थीगण आवंटन दिनांक 5.6.89 को मौके पर खातेदार काश्तकार नहीं थे, प्रार्थीगण बैयनामा तारीख 12.11.2012 को विवादित आवंटित आराजी खसरा नम्बर 686/0.20 से सटा हुआ आराजी खसरा नम्बर 685/0.15 पर काबिज हुये हैं। अतः प्रार्थीगण का यह कहना वक्त आवंटन तारीख 05.06.89 को प्रार्थीगण अतिक्रमी हों या विवादित आराजी खाली नहीं हो स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

बिन्दू स. 3– आया विवादित आराजी पर आवंटी द्वारा कभी काश्त नहीं करने के कारण आवंटन निरस्त योग्य रहता है?

पत्रावली में उपलब्ध खसरा गिरदावरी सम्वत 2036 से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर पूरन पुत्र रेवती जाति कचेरा द्वारा गेंहूं की फसल बोया दर्ज है। अतः प्रार्थीगण का यह कहना कि विवादित आराजी पर कभी काश्त नहीं की हो बजंड पड़ी हो, यह कहना गलत है।

बिन्दू स. 4 – क्या रेवती विवादित आराजी पर गैर खातेदार था, गैरखातेदार को आराजी की वसीयत करने का अधिकार नहीं ?

पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति वसीयत तारीखी 22.8.91 (सम्वत् 2048) से जाहिर है कि रेवती पुत्र भोंदू ने एक वसीयत अपने पुत्र पूरन के हक में की है। प्रार्थीगण का कहना है कि वक्त वसीयत रेवती गैरखातेदार था और गैर खातेदार को वसीयत करने का अधिकार नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी संम्वत् 2036 ग्रांम ऊंच नदबई का अवलोकन किया उक्त जमाबन्दी के कॉलम संख्या 4 में हो रहे इन्द्राज जो निम्न प्रकार है :–

".....रेवती पुत्र भोंदू जाति कचेरा सा. देह खातेदार "

.....7

जिला कलक्टर
भरतपुर

उक्त इन्द्राज से यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी पर रेवती पुत्र भौंदू वसीयत करने से पूर्व ही विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज हो चुका था।

5– आया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के रहता है ? :–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र नियम 14(4) विरुद्ध अप्रार्थीगण आवंटन आदेश आवंटन कमेटी नदबई आदेश दिनांक 05.06.1989 के खिलाफ इस न्यायालय में दिनांक 30.2.2022 को 33 साल की देरी से पेश किया है। म्याद प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पर निर्णय के पैरा नम्बर 7, 8 व 9 में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। माननीय उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है:–

> ".....Rajsthan Tenancy act, 1955 Sec. 63(9) Scope- Cancellation of allotment – Allotment cancelled after 35 years- sec 63(9) added in 1997 but could not be made effective with retrospective affect- Khatedari rights acquired to petitioner- Held cancellation of allotment after such a long period is not justified....."

प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से प्रार्थना पत्र नियम 14(4) काबिल खारिज के रहता है।

RBJ 2011 Page में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर एकल पीठ ने निम्नानुसार मत प्रतिपादित किया है –

> ".....Rajasthan Land Revenue (Allotment of land for agricultural Purposes Rules,1970 – Rule 14(4)- Allotment of land cannot be cancelled on the basis of presumptions and technical grounds."

6– आया अप्रार्थी एलोटी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार मिल चुके हैं? :–

पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या 809 दिनांक 25.1.96 से पूरन पुत्र रेवती को विवादित आराजी पर खातेदारी मिल चुकी है। अब प्रार्थीगण द्वारा लगभग 26 साल बाद खातेदारी को चेलेन्ज किया गया है। जो स्वीकार योग्य नहीं है।

.....8

जिला कलक्टर
भरतपुर

इस सन्दर्भ में जैसा कि –RBJ(27) 2020 पेज 648 में प्रतिपादित किया गया है –

"..... राजस्थान भू– राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन नियम 1970–नियम 14(4)– जब भूमि का आवंटन प्रार्थी को 34 पूर्व हुआ था। व 22 वर्ष भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये हो गये । इतने लम्बे समय के बाद भूमि का आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। आवंटी/रेस्पोडेंट के पक्ष में आवंटन को हुए 34 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है तथा रेस्पोडेंट/आवंटी को खातेदारी अधिकार भी 1984 में मिल चुके हैं अर्थात आवंटी को खातेदारी प्राप्त हुए भी 22 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इतने लम्बे अर्से के बाद आवंटी के पक्ष में हुए आवंटन एवं खातेदारी को नियम 14(4) के तहत या रेफरेन्स के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता है .....।"

अस्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (भू–आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ) सारहीन होने से काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी0 प्रार्थना पत्र आवंटन नियम 14(4) लैण्ड रेवेन्यू एक्ट (भू–आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ) 1970 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर